परिपत्र संख्या– 20 /सामा–1(3)/बंदी स्था0/2019

प्रेषक,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाए,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 23 सितम्बर, 2019

विषय– प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर एक कारागार से दूसरी कारागार पर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध विचाराधीन/सिद्धदोष बंदियों को प्रशासनिक आधार पर जेल मैनुअल के प्रस्तर–128 सपठित प्रस्तर–409 में प्रावधानित व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की किसी कारागार में एवं जेल मैनुअल के प्रस्तर–138 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पड़ोसी जनपद की कारागार में स्थानान्तरित किये जाने का अधिकार प्रदत्त है। राज्य सरकार द्वारा किसी बन्दी को प्रशासनिक आधार पर प्रदेश की किसी कारागार में स्थानान्तरित करने से पूर्व उसके आपराधिक कार्यक्षेत्र, उसके गुट के अन्य सदस्यों की निरूद्धि कारागार, उसकी पूर्व निरूद्धि कारागार तथा स्थानान्तरण हेतु प्रस्तावित कारागारों में उच्च सुरक्षा बैरक/एकल कक्ष की उपलब्धता एवं कारागार की प्रशासनिक व्यवस्था आदि को संज्ञान में रखते हुए कारागार का चयन किया जाता है, किन्तु कारागारों के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक द्वारा शासन स्तर से स्थानान्तरित किये गये ऐसे कुख्यात/संवेदनशील बन्दियों को जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से पड़ोसी जनपद की कारागारों में स्थानान्तरण करा दिया जाता है तथा स्थानान्तरित करते समय उस कारागार में निरूद्ध बन्दी के गुट के तथा विरोधी गुट के निरूद्ध बन्दियों, कारागार में बन्दी को निरूद्ध किये जाने हेतु उच्च सुरक्षा बैरक/एकल कक्ष की उपलब्धता एवं उस कारागार की प्रशासनिक व्यवस्था का कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है, जिससे कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित होना संभावित है।

शासनादेश संख्या–2904/जे0एल0/22–3–05–100(68)/05, दिनांक 21.09.2005 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा स्पष्ट रूप से यह निर्देश निर्गत किये गये है कि प्रशासनिक आधार पर एक कारागार से दूसरी कारागार में स्थानान्तरित किये गये बन्दियों को पुनः अन्य किसी कारागार में स्थानान्तरण हेतु प्रस्ताव प्रेषित न किया जाय तथा आपवादिक परिस्थितियों में कारणों का उल्लेख करते हुए जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से कारागार मुख्यालय को स्थानान्तरण प्रस्ताव प्रेषित किया जाय।

मुख्यालय के परिपत्र संख्या–48/सामा–1(3), दिनांक 14.08.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भी मुख्यालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही ऐसे बन्दियों को प्रशासनिक आधार पर जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से स्थानान्तरित कराने के निर्देश दिये गये हैं, किन्तु अनेक प्रकरणों में यह पाया गया है कि वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक/ प्रभारी कारागार द्वारा उक्त आदेशों का अनुपालन न कर बन्दियों को मनमानेपूर्ण ढंग से जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित कराया जा रहा है, जिससे अनेक प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

उक्त के दृष्टिगत आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में शासन स्तर से प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किये गये बन्दियों को किसी भी दशा में जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से स्थानान्तरित कराये जाने की कार्यवाही नहीं की जायेगी। किसी ऐसे बन्दी द्वारा यदि प्रशासनिक अव्यवस्था उत्पन्न की जाती है तो मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थानान्तरण रोल, पर कारणों का उल्लेख करते हुए परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार के माध्यम से स्थानान्तरण प्रस्ताव मुख्यालय उपलब्ध कराया जायेगा। भविष्य में यदि ऐसे किसी बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से स्थानान्तरित किये जाने का प्रकरण संज्ञान में आता है, तो सम्बन्धित वरिष्ठ अधीक्षक/ अधीक्षक कारागार के विरूद्ध आदेशों की अवहेलना हेतु कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक, कारागार अपने निरीक्षणों के समय उपरोक्त आदेशों के अनुपालन की स्थिति की भी समीक्षा किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरि

22/8/19

(आनन्द कुमार)
पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।

परिपत्र पृ0सं0– /सामा–1(3)/बन्दी स्था0/2019 तद्दिनांक

उपरोक्त परिपत्र की प्रतिलिपि समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आनन्द कुमार)
पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।